संख्या- 13/2015/86 आईडब्ल्यूएमपी /85-परती-2015-30(परती)/2014टी0सी0

प्रेषक,

सुरेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेविल नोडल एजेन्सी,
अष्टम तल, एल्डिको कापरेट टावर,
विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

परती भूमि विकास विभाग **लखनऊ, दिनांक 18 दिसम्बर, 2015**

विषयः- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वाटरशेड कम्पोनेन्ट के अन्तर्गत समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई. डब्ल्यू.एम.पी.) हेतु स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रथम किस्त की धनराशि स्वीकृत किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक वन, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-2/उत्तर प्रदेश/2015-16/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789-अनसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)-(के.90/रा.10-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्राशं रू0 15.83 करोड के सापेक्ष राज्यांश रू0 1.583 करोड बनता है किन्तु वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के उपरोक्त लेखाशीर्षक के अन्तर्गत रू0 149100 हजार की बजट व्यवस्था की गयी है। अत बजट प्राविधान के अनुसार उक्त योजनान्तर्गत 90 प्रतिशत केन्द्राश रू0 134190 हजार+10 प्रतिशत राज्यांश रू0 14910 हजार अर्थात कुल रू0 149100 हजार (रूपये चौदह करोड इक्यानवे लाख मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-.

(1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्टेट लेवल नोडल एजेन्सी, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जाएगा। योजना के समाप्त होने पर अवशेष धनराशि के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) विभाग योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी स्तरों पर अपेक्षित कार्यवाही को स्पष्ट कर देंगे।

(3) उक्त धनराशि का उपयोग योजना की अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप भारत सरकार के दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन एवं संगत नियमों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा, तथा धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(4) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपभोग योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निदेर्शो के अनुसार किया जायेगा।

(5) योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार/राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा तथा योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की मासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2 उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-83 के लेखाशीर्ष ''2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-05-बंजर भूमि विकास-789-अनसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0102-समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)-(के.90/रा.10-के.+रा.)-27-सब्सिडी'' के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण के शासनादेश संख्या'07/26-ब0प्र0-2015, दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकरों के अन्तर्गत (वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 के अशा0 पत्र संख्या-ई-1-665./दस-2015, दिनांक 27 नवम्बर , 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 13/2015/86 आईडब्ल्यूएमपी/85-परती-2015-30(परती)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- उप महानिरीक्षक वन, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, 11वा ब्लाक छठा तल, लोधी रोड, नई दिल्ली, 110003 को उनके पत्र संख्या-के-11013/19/2013/आईडब्लूएमपी (उत्तर प्रदेश) (क्रमांक-2/उत्तर प्रदेश/2015-16/आई0डब्लू0एम0पी0) दिनांक 31 अगस्त, 2015 के सन्दर्भ में।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय आडिट प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- आहरण एवं वितरण अधिकारी, एस0एल0एन0ए0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ।
5- नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-1,/समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ) उ0प्र0 शासन ।
6- अध्यक्ष एवं प्रशासक, शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना, 23,सी, गोखले मार्ग, लखनऊ।
7- अध्यक्ष एवं प्रशासक,रामगंगा कमाण्ड परियोजना,177-एच-2/193 पाण्डुनगर, कानपुर।
8- मुख्य वित्तीय सलाहकार, शारदा सहायक समादेश परियोजना, लखनऊ/रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
9- प्रशासनिक अधिकारी, स्टेट लेविल डाटा सेन्टर आईडब्लूएमपी, अष्टम तल, एल्डिको, कापरेट टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
10- संयुक्त निदेशक, समादेश बन्धु, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।